न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी: नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 132 / 2018

वादी :– पुखाराम उर्फ शान्तिपुरी पुत्र प्रेमला चेला हरीपुरी महाराज उम्र 37 वर्ष कवलामठ जालोर हाल– कालका माता मन्दिर देवगढ आगोलाई जोधपुर मो. 7023407053

बनाम

प्रतिवादीगण:–
1. हिरालाल पुत्र अमराराम कौम सुथार निवासी बागावास
2. लालाराम पुत्र अमराराम कौम सुथार निवासी बागावास
3. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
4. मैनेजर जे.टी.जी.बी. बैंक शाखा बागावास तह. पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक :- 29.08.2022

उपस्थिति:– अचलाराम थोरी वादी की ओर से

वादी ने न्यायालय मे वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि राजस्व गांव बागावास पटवार हल्का बागावास में कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 566 रकबा 38 बीघा 08 विस्वा किस्म बारानी सोयम वादी के हकपुर्वाधिकारी प्रेमला के कब्जा काश्त खातेदारी कि अवस्थित रही, तदोपरान्त प्रेमला की मृत्यु होने पर प्रेमला के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी तथा वादी के भाई अनोपाराम, वादी का बहन गीता व गुट्टी के नाम रेकर्ड में जरीये फौतगी म्युटेशन से दर्ज हुई, तदोपरान्त वादी की सगी बहन गुट्टी का छोटी आयु में ही अविवाहित रहते मृत्यु हो गई, लेकिन गुट्टी की मृत्यु हो जाने के पश्चात भी राजस्व रेकर्ड में मृतक गुट्टी का नाम बतोर खातेदार दर्ज रहा। मूल खसरा संख्या 566 रकबा 38 बीघा 08 विस्वा भूमि में वादी का नाम जरीये फोतगी म्युटेशन दर्ज होने के बाद वादी ने संसारिक जीवन त्याग कर सन्यास लेकेर मठाधीश हो गया, वादी ने उक्त सालिम कृषि भूमि का कभी कोई बंटवाडा तकासमा आपसी सहमति से या विधिक प्रकिया के तहत नहीं करवाया। राजस्व रेकर्ड में वादी की मृतक बहिन गुट्टी के नाम से चल रही खातेदारी की गलत प्रविष्टियां का नाजायज फायदा उठाने एवं वादी की मृतक बहिन गुट्टी के हिस्से की भूमि को हडप करने की बदनियति से वर्तमान प्रकारण के प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक गिरोह बनाया और मूल सालिम कृषि भूमि को तीन भागों में विभक्त किया, जिसके खसरा संख्या 566 रकबा 19 बीघा 08 विस्वा, व खसरा संख्या 988 / 566 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 989 / 566 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा बनाये और वादग्रस्त खसरा संख्या 588 / 566 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा में प्रतिवादी संख्या 01 हिरालाल तथा खसरा संख्या 989 / 566 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा प्रतिवादी संख्या 02 लालाराम ने अपने नाम दर्ज करवाकर राजस्व रेकर्ड में चल रहे वादी की मृतक बहिन गुट्टी का नम की खातेदारी रकबा 04.15 बीघा– 04.15 बीघा को आऊट कर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा [illegible] को नहीं होने दी। वादी ने वर्ष सन् 2002 में सांसारिक जीवन त्यागकर मठाधीश [illegible] कर दिया, इस कारण वादी की मृतक बहिन गुट्टी के नाम से चल [illegible] व अनुचित तरीके से तथा छल कपट व साश्य बईमानी की बदनियति से वादी की [illegible] बहिन गुट्टी के हिस्से को हडप करने हेतु वर्तमान प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व अन्य व्यक्तियों ने एकराय होकर वादी व वादी की मृतक बहिन गुट्टी को साश्य नुकसान कारित करने की निय[illegible] फर्जी व कुटरचित मुल्यवान प्रतिभूतियां यानि बेचाननामा में कुटरचना के माध्यम से वादी की बहिन गुट्टी के सहखातेदारी की भूमि के भाग को भी हडप करने की नियत से वादी की मृतक बहिन गुट्टी के स्थान पर अन्य लडकी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व उनके गिरोह के अन्य सदस्यों ने खडा कर बेचाननामा संख्या 489 / 06.03.2009 दस्तावेज संख्या 490 / दिनांक 06.03.2009 उपपंजीयक पचपदरा में पंजीबद्ध करवाया, जिसकी कोई जानकारी वादी को नहीं होने दी, और ऐसे अवैध व शुन्य प्रविष्टियां के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने राजरव

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अनेक नाम अंतरण दर्ज करवाकर जे.टी.जी.बी. बैंक शाखा बालोतरा से ऋण भी प्राप्त कर लिया। निवेदन करना भी उचित है कि वादी की मृतक बहिन गुट्टी को मिले विरासत की उक्त सम्पत्ति के भाग को वादी की नाबालिग मृतक बहिन गुट्टी ने कभी भी बेचान बख्शीश रहन इन्तकाल किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा ऐसा करने हेतु किसी को अधिकृत किया गया क्योंकि गुट्टी की मृत्यु वर्ष 2006 से वर्षों पहले हो चुकी थी जो वर्ष 2006 में जीवित नहीं थी। वर्तमान वादी को जब महाकुम्भ मेले में भाग लेने हेतु अहमदाबाद में जाकर पंजीकरण करवाना चाहा जिस पर अहमदाबाद के द्वारा वादी से बतौर पहचान पत्र आधार कार्ड चाहा गया जो वादी के पास उपलब्ध नहीं था वादी को आधार कार्ड बनाने के माध्यम दस्तावेज की आवश्यकता महसूस होने पर संबंधित हल्का पटवारी राजस्व रेकर्ड की नकलें माह मार्च 2016 में चाही जिस पर वादी को उक्त तथ्य की प्रथम बार जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण व अन्य व्यक्तियों ने मिलकर कूटरचना के माध्यम से फर्जीवाड़ा कर मुल्तान प्रतिमूर्ति की कूटरचना की और ऐसे शून्य दस्तावेज के आधार पर वादी की बहिन मृतक गुट्टी के नाम चल रही भूमि प्रविष्टियों का नाजायज फायदा उठाने की बदनियति से वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने नाम दर्ज करवा दी और उसके बाद यह जानते हुए भी उक्त बेचान की कार्यवाही पूर्णतया फर्जी व कूटरचित है फिर भी असली के रूप में उपयोग किया और बैंक जे.टी.जी.बी. बैंक शाखा बालोतरा को मुगालते में रखकर ऋण भी ले लिया विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरम्भ से ही शून्य दस्तावेज विधिक टाइटल पारकर के हक से न तो समाप्त होते है और [illegible] ऐसे अवैध कृत्य से हकों का सर्जन ही होता है, वादी की मृतक बहिन के नाम चल रही [illegible] खातेदारी [illegible] प्रविष्टियों के आधार पर भूमि को हड़प करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व अन्य [illegible] किये [illegible] फर्जीवाड़े आपराधिक कृत्य के संबंध में फौजदारी मुकदमा सीआर नं. 115/2016 पी.एस. [illegible] धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई पी सी में दर्ज करवाया उक्त प्रकरण में पुलिस [illegible] प्रतिवादी व अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 30.04.2018 को न्यायालय में पेश किया [illegible] न्यायालय में विचाराधीन है। विधि के अन्तर्गत शून्य प्रभाव के दस्तावेजात [illegible] आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अवैध हमेशा अवैध अविधि मान्य ही रहता [illegible] संख्या 01 व 02 के नाम किया गया बेचान प्रारम्भ से शून्य प्रभाव का रहा व [illegible] व कूटरचित दस्तावेज को आधार बनाकर वादी की मृतक बहिन गुट्टी का नाम [illegible] दिया [illegible] फर्जी कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग लेकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का [illegible] दर्ज करवाने से वादी के विधिक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे है। [illegible] स्थिति में [illegible] भूमियों में फर्जी व कूटरचित प्रारम्भ से शून्य प्रभाव के अवैध दस्तावेज के आधार पर [illegible] की [illegible] हटाकर मूल खसरा संख्या 566 के बने नये तरमीमी खसरा सं. 989/566 रकबा [illegible] 10 बीघा [illegible] मृतक बहिन गुट्टी के 1/2 हिस्से की भूमि रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा तथा [illegible] संख्या [illegible] रकबा 09.10 बीघा में वादी की मृतक बहिन गुट्टी के 1/2 हिस्से की भूमि रकबा [illegible] बीघा [illegible] प्रतिवादी संख्या 03 राजस्थान राज्य के नाम दर्ज करवाने तथा उक्त दस्तावेज अकृत्य करार दिलाने हेतु न्यायालय में वाद दर्ज करवाना आवश्यक हो गया अतः उपरोक्त अनुतोषों का वाद-पत्र प्रस्तुत किया जाकर वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि कृषि भूमि खसरा संख्या मूल 566 के वर्तमान बने नये तरमीमी खसरा संख्या 988/566 व 989/566 क्रमश रकबा 09.10 बीघा 09.10 बीघा में वादी की मृतक बहिन गुट्टी के 1/2 – 1/2 हिस्से की भूमि क्रमश रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, 04 बीघा 15 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 03 राजस्थान राज्य के नाम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाकर उक्त रकबे को खाता संख्या 01 की भूमि घोषित किया जावे तथा फर्जी व कूटरचित बेचाननामे अकृत्य करार दिया गया है कि बाद घोषणा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि उपरोक्त खसरान् की भूमि में कोई बाधा दखल हस्तक्षेप न तो स्वयं कारित करें और न अन्य किसी से करावें।

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अनुपस्थित इनके सम्मन रजिस्टर्ड डाक से इनके पते पर भिजवाये गये। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाई की गई। ताबाद वादी ने साक्ष्य में PW-1 शपथ पत्र पेश हुआ व अपने बयान साक्ष्य कलमबद्ध करवाकर दस्तावाजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से प्रदर्श-05 पेश किए और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है साक्ष्य वादी समाप्त की गई।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि प्रदर्श-05 आरोप पत्र जो पुलिस थाना पचपदरा द्वारा लालाराम, हीरालाल, ओमाराम, कुपाराम, बाबुराम, चुनाराम, चुनाराम पुत्र दीपाराम, अनोपाराम के विरूद्ध वादी की जगह अनोपाराम का फोटो लगाकर व वादी की बहीन जो जीवित नहीं है को भी जीवित होना बताकर जमीन हड़प करने के लिए फर्जी रजिस्टरी करवाने का आरोप धारा 420, 467, 468,

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] भारतीय दण्ड संहिता का प्रमाणित माना है। जिससे स्पष्ट है कि वादी ने अपने हिस्से की भूमि [illegible] नहीं किया है। किसी व्यक्ति के विधिक हिस्से को हड़प करने के लिए फर्जी दस्तावेज पंजीकृत करवाने मात्र से उनके विधिक समाप्त नहीं होते, ऐसा दस्तावेज आरम्भ से ही शून्य प्रभाव का होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादी स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा संख्या मूल 566 के वर्तमान बने नये तरमीमी खसरा संख्या 988/566 व 989/566 क्रमशः रकबा 09.10 बीघा – 09.10 बीघा में वादी की मृतक बहिन गुट्टी के 1/2 – 1/2 हिस्से की भूमि क्रमश रकबा 04 बीघा 15 विस्वा, 04 बीघा 15 विस्वा को प्रतिवादी संख्या 03 राजस्थान राज्य के नाम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाकर, उक्त रकबे को खाता संख्या 01 की भूमि घोषित किया जाता है तथा फर्जी व कुटरचित बेचाननामें अपरिवर्तनीय अकृत्य करार दिया जाता है, कि बाद घोषणा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाता है कि उपरोक्त खसरान् की भूमि में कोई बाधा दखल हस्तक्षेप न तो स्वयं कारित करें और न अन्य किसी से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 29.08.22 को लिखवाया जाकर न्यायालय में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा